[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, the 15/10/2015.

G.S.R (E)..... –In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009 namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2015.

   (2) They shall come into force with effect from 19th October,2015.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009,-

   (i) for rule 33, the following rule shall be substituted, namely :-

   " 33. For the purposes of the proviso to sub-section (1) of section 58 of the Act, where the firm has been converted into limited liability partnership, an intimation of such conversion to the concerned Registrar of Firms shall be given in Form 14 within fifteen days of the date of registration of the Limited Liability Partnership.";

   (ii) in rule 39, sub-rule (3) shall be omitted;

   (iii) in rule 40, sub-rule (3) shall be omitted;

   (iv) in "FORM 2", under the heading "ADDENDUM TO FORM 2", under PART A, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

   "1. *Indicate Registrar's reference number for name approval [Service Request Number (SRN) of Form 1]";

   (v) in "FORM 4", under the heading "ADDENDUM TO FORM 4", serial number1 and entries relating thereto shall be omitted;

(vi) in "FORM 4", under the heading "ADDENDUM TO FORM 4", serial numbers 2 to 7 shall be renumbered as serial numbers 1 to 6 respectively;

(vii) in "FORM 16", before the words "CERTIFICATE OF INCORPORATION", the following National Emblem shall be inserted, namely:-

"

सत्यमेव जयते ";

(viii) in "FORM 19", before the words "CERTIFICATE OF REGISTRATION ON CONVERSION", the following National Emblem shall be inserted, namely:-

" सत्यमेव जयते ";

(ix) in "FORM 30", before the words "CERTIFICATE FOR ESTABLISHMENT OF PLACE OF BUSINESS IN INDIA", the following National Emblem shall be inserted, namely:-

" सत्यमेव जयते ".

[F. No. 2/15/2014-CL-V]

(Amardeep Singh Bhatia)

Joint Secretary to Govt. of India

Footnote- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) vide GSR No 229(E) dated 1st April, 2009 and subsequently amended by GSR No 385(E) and 386(E) dated 4th June, 2009, GSR No 6(E) dated 6th January, 2010, GSR 24(E) dated 11th January, 2010, GSR 914(E) dated 15th November,2010, GSR 506(E) dated 5th July, 2011, GSR 680(E) dated 14th September, 2011, GSR 796(E) dated 4th November, 2011, GSR 430(E) dated 5th June, 2012, GSR 485(E) dated 21st June, 2012, GSR 692(E) dated 14th September, 2012 and GSR 333(E) dated 29th April, 2015.

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15|10| 2015

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 19 अक्तूबर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में,-

(i) नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"33. अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए जहां फर्म को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित किया गया है, वहां प्ररूप 14 में ऐसे संपरिवर्तन की संसूचना संबंधित फर्म रजिस्ट्रार को सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर दी जाएगी।";

(ii) नियम 39 के उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 40 के उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(iv) "प्ररूप 2" में "प्ररूप 2 का युक्तिका" शीर्षक के अधीन भाग क के अधीन क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. *नाम के अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार की संदर्भ संख्या दर्शाएं
[प्ररूप 1 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)]"; ....

(v) "प्ररूप 4" में "प्ररूप 4 के युक्तिका" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) "प्ररूप 4" में "प्ररूप 4 के युक्तिका" शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 2 से 7 का क्रमांक बदलकर क्रमश: क्रम संख्याएं 1 से 6 के रुप में पुन: संस्थापित किया जाएगा;

(vii) "प्ररूप 16" में "निगमन प्रमाण पत्र" शब्दों से पहले निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"

सत्यमेव जयते ";

(viii) "प्ररूप 19" में "संपरिवर्तित करने संबंधी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" शब्दों से पहले निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"

सत्यमेव जयते ";

(ix) "प्ररूप 30" में "भारत में कारबार के स्थान की स्थापना हेतु प्रमाण पत्र" शब्दों से पहले निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"

सत्यमेव जयते ";

[फा.सं.2/15/2014-सीएल.V]

अमरदीप
15/5/2015

(अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 229(अ) तारीख 01.04.2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 385(अ) और 386(अ) तारीख 04 जून, 2009, सा.का.नि. 6(अ) तारीख 06 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 24(अ) तारीख 11 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 914(अ), तारीख 15.11.2010, सा.का.नि. 506(अ) तारीख 5 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 680(अ) तारीख 14.09.2011, सा.का.नि. 796(अ) तारीख 04.11.2011, सा.का.नि. 430(अ) तारीख 05.06.2012, सा.का.नि. 485(अ) तारीख 21.06.2012, सा.का.नि. 692 और तारीख 14.09.2012 और सा.का.नि. 333(अ) तारीख 29.04.2015 द्वारा उसमें संशोधन किए गए थे।